सं0-7/5573/62-2-2013-2/3(76)/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

2- मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर,2013

विषय: लघु सिंचाई विभाग के विकास खण्डों में कार्यरत अवर अभियंताओं का वेतन ग्राम्य विकास विभाग के बजट के बजाय लघु सिंचाई विभाग के बजट से दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 29-8-2013 को सम्पन्न बैठक का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि विकास खण्डों में कार्यरत लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं का वेतन ग्राम्य विकास विभाग के बजट के बजाय लघु सिंचाई विभाग के बजट से दिया जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2014-2015 में आयोजनेत्तर पक्ष का बजट प्रस्ताव भेजते समय लघु सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय स्थापित करके विकास खण्डों में तैनात अवर अभिंयताओं को वेतन का भुगतान ग्राम्य विकास विभाग के बजाय लघु सिंचाई विभाग के लेखा शीर्षक से

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने हेतु विकास खण्डों में तैनात अवर अभियंताओं के वेतन मद में आने वाले व्ययभार का आगणन करके लघु सिंचाई विभाग के लेखा शीर्षक में व्यवस्था करायी जायेगी, और उतनी ही धनराशि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने लेखा शीर्षक में कम करके व्यवस्था करायी जायेगी।

3- लघु सिंचाई विभाग का यह दायित्व होगा कि वह अपने बजट प्रस्ताव 2014-15 (आयोजनेत्तर पक्ष) का प्रस्ताव भेजते समय इसका स्पष्ट उल्लेख करेगें कि जो अतिरिक्त धनराशि बजट प्रस्ताव में सम्मिलित की जा रही है, उसे ग्राम्य विकास विभाग के बजट (आयोजनेत्तर पक्ष) से कम (घटा) कर दिया गया है।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

कृषि उत्पादन आयुक्त।

सं0-5573/62-2-2013तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एंव भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
5- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in